न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी— अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 46/2025

दायर दिनांक 13.01.2025

आदेश दिनांक 8/5/2026

उनवान

1. श्री अमरसिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा।

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री भैरूसिंह पिता कालू सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. श्री गोपाल सिंह पुत्र सरदार सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. श्री गिरधारी सिंह पुत्र सरदार सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. श्री देवी सिंह पुत्र किशन सिंह राजपूत निवासी ढोलिया खेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, भीलवाड़ा।

— विपक्षीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :—

उपस्थितः—

1. **अधिवक्ता प्रार्थी श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।**
2. **विपक्षीगण अधिवक्ता अंबालाल कुमावत उपस्थित।**
3. **विपक्षी संख्या 05 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।**

—:: आदेश ::

आदेश दिनांक 8/5/26

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ढोलियाखेड़ा, पटवार हल्का भोपालगढ़, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 136/1 रकबा 0.2529, आराजी संख्या 138 रकबा 0.1517, आराजी संख्या 143 रकबा 0.2529, आराजी संख्या 147 रकबा 0.2403, आराजी संख्या 148 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण पड़ौसी खातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर राजस्व अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 सम्मन बाद तामिल प्राप्त। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की ओर से वकालतनामा प्राप्त। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा जवाब प्रस्तुत हुआ। विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा आदेशिका दिनांक 23.09.2025 को विपक्षी संख्या 01 व 02 के जवाब को विपक्षी संख्या 03 व 04 का जवाब मान लिये जाने हेतु नोट अंकित किया गया।

8/5/26
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी जिस आराजी को अपने नाम पर दर्ज होना अंकित किया है उसका रकबा अंकित नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थी ने पैरा संख्या 02 में जो तथ्य अंकित किये है वो पत्थरगढ़ी के संबंध में नहीं होकर नये सिरे से रास्ता कायम कराने का है। आराजी नंबर 136 विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है। प्रार्थी ने आराजी संख्या 136/1 में पत्थरगढ़ी करवाने का अनुतोष चाहा है जो प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम ढोलियाखेड़ा, पटवार हल्का भोपालगढ़, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 136/1 रकबा 0.2529, आराजी संख्या 138 रकबा 0.1517, आराजी संख्या 143 रकबा 0.2529, आराजी संख्या 147 रकबा 0.2403, आराजी संख्या 148 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थीगण को सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 2000–00 अक्षरे दो हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/5/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नंबर से कम हो।

8/5/26

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा